>

Title : Need to release water to Rajasthan from the excess water of Ravi and Beas rivers under 1981 Agreement.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदय, रावी व्यास के आधिक्य जल में से राजस्थान को भाखड़ा नांगल मुख्य नहर से 0.17 एम.ए.एफ. जल के आबंटन की मांग राजस्थान वर्षो से करता आ रहा है। पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिनांक 31.12.1981 को हुए अनुबंध के अंतर्गत राजस्थान को रावी व्यास के आधिक्य जल में से 8.60 एम.ए.एफ पानी आबंटित किया गया था, इस समझौते के पैरा (4) में यह उल्लेख किया गया है कि "सचिव, सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार भाखड़ा मेन लाइन से रावी व्यास के आधिक्य जल में से राजस्थान के 0.57 एम.ए.एफ के दावे पर 15 दिवस में निर्णय करेंगे, जो सी संबंधित पक्षों को मान्य होगा"। सचिव, सिंचाई भारत सरकार ने दिनांक 15.01.1982 ने निर्णय दिया कि सिधमुख-नाहर के लिए राजस्थान की उचित आवश्यकता 0.47 एम.ए.एफ है, जिसमें से 0.30 एम.ए.एफ पानी पूर्व में ही उपलब्ध है, शेष 0.17 एम.ए.एफ पानी (एक्स नागल) राजस्थान को नांगल से भाखड़ा मेन लाइन के माध्यम से इसकी वास्तविक क्षमता में राजस्थान के संसाधनों से लाते हुए प्रभावित किया जाता है। राजस्थान द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबंध निगम (बी.बी.एम.बी) को 0.17 एम.ए.एफ. पानी भाखड़ा मेन लाइन के मार्फत सिधमुख-नाहर क्षेत्र को पानी प्रभावित करने हेतु काफी बार ऐजेंडा नोट प्रस्तावित करता आ रहा है। विभिन्न बैठकों में पंजाब ने यह स्वीकार किया कि भाखड़ा मेन लाइन की पूर्ण क्षमता प्राप्त कर ली गई है, परन्तु हरियाणा की असहमति के कारण भाखड़ा व्यास प्रबंध निगम ने दिनांक 3.8.2006 द्वारा उक्त प्रकरण भारत सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया। राजस्थान ने वर्ष 2002 में ही सिधमुख नाहर परियोजना पूर्ण कर ली हे एवं परियोजना के सिंचित क्षेत्र की सिंचाई हेतु पूर्ण क्षमता विकसित कर ली हे। उक्त क्षेत्र में पानी को लेकर भयंकर तनाव हे, क्षेत्र में भयंकर अकाल है । उक्त पानी को लेकर प्रतिदिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, प्रशासन के समक्ष कानून व्यवस्था कायम रखने का संकट पैदा हो गया है। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि रावी व्यास के आधिक्य पानी से 0.17 एम.ए.एफ पानी (एक्स नागल) राजस्थान को अविलम्ब आबंटित किए जाने की व्यवस्था करें।